न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास प्रतिभा वर्मा, आई.ए.एस

प्रकरण संख्याः 14 / आवेदन 251—ए

1. सुरजा राम पुत्र भेरूराम जाति बलाई निवासी गोरधनपुरा जिला सीकर।

— प्रार्थी

ब ना म

1. हरिप्रसाद पुत्र मालाराम
2. रामस्वरूप पुत्र मालाराम
3. किशन पुत्र मोहन (फ़ौत)

3/1 नारायणी पत्नि स्व. किशन वयस्क
3/2 अशोक पुत्र स्व. किशन वयस्क
3/3 मदन लाल पुत्र स्व. किशन वयस्क
3/4 पप्पू पुत्र स्व. किशन वयस्क
3/5 मंजू पुत्री स्व. किशन वयस्क
3/6 पूनम पुत्री स्व. किशन वयस्क

4. पूर्ण पुत्र स्व. किशन (फौत)

4/1 शांति पत्नि स्व. पूर्ण वयस्क
4/2 सोनू पुत्र पूर्ण
4/3 विमला पुत्री स्व. पूर्ण वयस्क
4/4 खुशबू पुत्री स्व. पूर्ण वयस्क

5 ईश्वर पुत्र मोहन (फौत)

5/1 संतोष पत्नि स्व. ईश्वर वयस्क
5/2 रोहित पुत्र स्व. ईश्वर वयस्क
5/3 मोहित पुत्र स्व. ईश्वर वयस्क
5/4 भावना पुत्री स्व. ईश्वर वयस्क

6 धापु देवी पत्नि मोहन

7 रमेश पुत्र मंगलाराम

8 राजू पूत्र मंगलाराम
समस्त जाति धोबी निवासीगण ग्राम गोरधपुरा तह. दांतारामगढ़ जिला सीकर

9 भूमि धारक तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

— अप्रार्थीगण

आवेदन अन्तर्गत धारा 251—ए

उपस्थिति—

1. श्री हनुमानप्रसाद जांगीड़ वकील प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

नि र्ण य — दिनांक – 30.01.2023

1. आवेदन पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम गोरधनपुरा पटवार हल्का मण्डा मदनी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के भूमि खसरा नं. 170, 171, 172 किता 3 कुल रकबा 1.52 है0 अवस्थित है। जिसमें वर्तमान में 8/9 हिस्सा प्रार्थी के नाम है तथा 1/9 में दुसरे खातेदार है, जिनसे भी उक्त हिस्सा क्रय किया हुआ है, इस प्रकार से उक्त समस्त आराजी पर प्रार्थी अकेले ही काबिज खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी की भूमियों के उत्तर ओर अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि 169 रकबा 0.57 है0 पडती तथा उसके उत्तरी ओर आम रास्ता लगता है, उक्त भूमि की पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे 12 फुट चौडा रास्ता जो की कदीमी से चला आ रहा उक्त रास्ते को पूर्व में भी अप्रार्थीगण द्वारा बंद कर दिया था तो प्रार्थी की खातेदारी की भूमियों के पूर्व खातेदारों ने ग्राम पंचायत मण्डा द्वारा दिनांक 20.09.1963 को जरिये मिसल नं. 20 के जरिये खुलवाया गया था, इसके बाद उक्त आवेदन के पैरा संख्या 1 में वर्णित भुमिया प्रार्थी ने अर्सा करीब 30 वर्ष पूर्व क्रय की कर ली थी, तब से लगातार उक्त रास्ते से गमानागमन करता चला आ रहा है, इसके बाद अप्रार्थीगण ने फिर भी वर्ष 2006 में उक्त रास्ते में दुबारा अडचन पैदा करने लगे तब गांव समाज के मौजिज लोगों ने मिल बैठ कर राजीनामा करवा लिया व रास्ते में काम आ रही भूमि को 17000/रू का मौल कर अप्रार्थीगण को अदा कर दिया व उसकी लिखावट 10 रू के स्टाम्प पेपर पर यादस्ती के तौर पर लिखापटी कर ली थी, तथा अप्रार्थीगण ने रास्ता कटान में करवाने का आश्वासन देते रहे उक्त रास्ते से ट्रेक्टर, बेलगाडी, जीप, ट्रक का आवागमन होता है, तथा उक्त रास्ता वर्तमान मे चालू है, तथा सबसे लघुतम रास्ता भी यही है, उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी की भूमियों के दूसरा वैकल्पिक रास्ता नहीं लगता है, इसलिए उक्त रास्ते को 12 फुट चौडा कटान में किया जाना आवश्यक व उचित है। अप्रार्थीगण पिछले कई दिनों से रास्तो को राजीरजा कटान में करवाने का आश्वासन देते चले आ रहे है तथा कहने पर कहते है कि आपका रास्ता मौके पर तो चालू है ही इसलिए कभी भी रास्ते को कटान में करवा देंगे, लेकिन अब जुलाई 2013 के प्रथम सप्ताह में अप्रार्थीगण अपनी उक्त भूमि का दीगर

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

व्यक्तियों को अन्तरण करने के सिलसिले में कई दीगर व्यक्तियों को दिखा रहे है तथा रास्ते सहित ही भूमि को विक्रय करने की फिराक में तथा धीरे-धीरे रास्ता को सकडा कर बंद करने का प्रयास कर रहे है, तब प्रार्थी ने ऐसा कृत्य करने के लिए मना किया व रास्ते को कटान में किये जाने के लिए कहा तो अप्रार्थीगण एकदम से भडक गए तथा कहा की हमारी मर्जी होगी तो रास्ते को कटान में करवा देंगे अन्यथा बंद कर देंगे आप जाने से सौ करो, तथा इस आशय की धमकी देकर रास्ते को बंद कर प्रार्थी को बर्बाद करने पर आमादा है, हांलाकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है, फिर यदि अप्रार्थीगण अपनी कुचेष्टा में कामयाब हो गया तो प्रार्थी के विधिक अधिकारों पर गम्भीर कुठाराघात होगा जिसकी पूर्ति बाद में कद्यापि भविष्य में सम्भव नहीं हो सकेगी इसलिए अप्रार्थीगण को निषेद्याज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी ने उक्त रास्ता कटान में करवाने के लिए अप्रार्थीगण को बार बार निवेदन किया लेकिन उन्होंने राजीरजा रास्ता कटान में करवाने के लिए जुलाई 2013 के प्रथम सप्ताह में मना कर दिया व रास्ते सहित भूमि को अन्यत्र अन्तरण करने व रास्ता बंद करने की ऐलानिया धमकी देने पर उक्त आवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है एवं इस्तदुआ प्रस्तुत कर रहे है कि वाकै ग्राम गोरधनपुरा पटवार हल्का मण्डा मदनी की तन में स्थित अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 169 रकबा 0.57 है0 की पश्चिमी सींव के सहारे सहारे प्रचलित 12 फुट चौड़ा रास्ता जो प्रार्थी की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 172 में जाता है को आवेदन के संलग्न नक्शा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में कटान किया जावे व तदनानुसार राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेश में तरमीम व जमाबन्दी में किस्म गै0मु0रास्ता की दुरूस्ती कि जावें।

2. आवेदन पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।
3. तहसीलदार दांतारामगढ से रिपोर्ट मंगवाई गयी। प्राप्त रिपोर्ट में अंकन किया कि वर्तमान में अपने खेत में आने जाने के लिए ख.नं. 169 व 168 दोनो ख. नम्बरो की बीच की सीमा के उपर दोनो तरफ रास्ता बना रखा है जो आने

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

जाने के काम में लिया जा रहा है खसरा नम्बर 159 के अलावा अन्य कोई रास्ता निकटतम दूरी पर नहीं है। कटाणी रास्ता ख.नं. 168,169 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे गूजरता है। इससे प्रार्थी को आने जाने में आसानी रहती है तथा मौके पर रास्ता बना रखा है। अतः मौके पर बना रखा रास्ता मौके अनुसार दिया जाना उचित है। प्रार्थी के पास ख.नं. 170,171,172 में आने जाने के लिए कोई रिकॉर्ड रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा मौके पर बना रखा रास्ते का रकबा 168 में 0.0160 है0 तथा ख.नं. 169 में 0.0160 है0 हैं। अतः मौके पर बनाये गये रास्ते का कुल रकबा 320 वर्ग मीटर है जो रास्ते उपयोग का है प्रार्थी द्वारा मौके पर प्रस्तुत ईकरारनामा की प्रतिलिपि पेश की एवं प्रार्थी द्वारा बताया गया कि रास्ते के उपयोग में ली जा रही उपरोक्त भूमि की राशी खातेदारो को पूर्व में दी हुई है। जिसके ईकरारनामों की प्रतिलिपि संलग्न है। भूमि खसरा नम्बर 168 व 169 की डी.एल.सी रेट 636363 रूपया प्रति हैक्टर है। खसरा नम्बर 168 में लाल स्याही से अंकित रास्ते का क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर है तथा खसरा नम्बर 169 में लाल स्याही से अंकित रास्ते का क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर है अर्थात कुल रास्ते के रूप में प्रयोग में 160 + 160 = 320 वर्ग मीटर आ रहा है जिसका डी.एल.सी दर से 20363.60 रूपया बनती है जिसका दुगना करने पर 40727.20 रूपया बनती है। आवेदन अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस एकपक्षीय सुनी गई।

4. बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया एवं तहसीलदार दांतारामगढ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–ए की मंशा रास्ते की आत्यंधिक आवश्यकता होने की स्थिति में सबसे नजदीकी रिकार्डेड रास्ते से आवेदक काश्तगार को रास्ता दिये जाने की मंशा रखती है। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि आवेदक को रास्ते की आत्यंकिक आवश्यकता है। **अतः प्रार्थीगण का आवेदन अंतर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 170, 171, 172 के निकटतम खसरा नम्बर 168 व 169 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। ख.नं. 168 में से 0.016**

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

है0 अर्थात 160 वर्ग मीटर तथा ख.न. 169 में से 0.0160 है0 अर्थात 160 वर्ग मीटर कुल 320 वर्ग मीटर जिसकी डी.एल.सी. दर 20363.60 रूपये प्रति हैक्ट. है। जिसकी डी.एल.सी. दर से दुगुनी कीमत 40727.20 रूपये अर्थात रास्ते का कुल क्षैत्रफल 320 वर्ग मीटर रास्ता प्रार्थी को नियमानुसार दिया जाना उचित है। प्रार्थी को खसरा नम्बर 168 व 169 में से 320 वर्ग मीटर रास्ता आवागमन व उपयोग–उपभोग हेतु संलग्न नक्शानुसार गैरमुमकिन रास्ता के रूप में अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार दांतारामगढ से प्राप्त डीएलसी दर के मुताबिक उक्त रास्ते की डीएलसी दर की दुगुनी दर सें कीमत 40727. 20/रूपये में सें अप्रार्थीया संख्या 1 लगायत 8 को 40727.20 रूपये अदा किया जाना है। अतः तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि उक्त राशि प्रार्थी सें प्राप्त कर राजकोष में जमा होने के पश्चात उक्त रास्ते को मौके पर नपती की जाकर सिवायचक गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर नियमानुसार राजस्व अभिलेख में रकबा व लगान का अंकन किया जावे। तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पटवारी हल्का के साथ मौके पर जाकर उक्त मौके पर निशादेही की जाकर आवश्यक होने पर पुलिस इमदाद ली जाकर दर्ज गैरमुमकिन रास्ता सिवायचक राज. सरकार को चालू करवाये।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/01/23

(प्रतिभा वर्मा IAS)

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ